

कार्यालय अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) संयुक्त संगठन, गाजियाबाद

शासनादेश सं0 1999/1-13/13/2004 रा-13 दि0 11.11.2004 द्वारा निर्धारित प्रारूप

अधिकार पत्र (कब्जा परिवर्तन)

1. राजस्व ग्राम का नाम : नानू
2. परगना, तहसील व जिला : लोनी / गाजियाबाद / गाजियाबाद
3. अर्जन निकाय का नाम : उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नि0ख0 - 22 वसुन्धरा गाजियाबाद
4. योजना का नाम : दिल्ली-सहारनपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना, गाजियाबाद
5. धारा-28(1) की विज्ञप्ति का दिनांक : 18.09.98
6. धारा-32(1) की विज्ञप्ति का दिनांक : 27.10.07
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि : - 27-12-12
8. कब्जा देने वाले का नाम : निरंजन सिंह, तीरथ सिंह(अमीन) कार्यालय-अपर जिलाधिकारी (भूमिअध्याप्ति) संयुक्त संगठन, गाजियाबाद

भूमि का विवरण जिसका कब्जा अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को हस्तान्तरित किया जा रहा है, जैसी भी स्थिति है। प्रश्नगत ग्राम की 83258 है0 विज्ञप्ति भूमि का कब्जा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को दिये जाने हेतु अमीन श्री निरंजन सिंह एवं तीरथ सिंह को अधिकृत किया जाता है, कि वह उक्त भूमि का कब्जा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के सहायक अभियन्ता श्री नवीन कुमार जैन को सौंपें, परन्तु प्रतिबंध होगा कि जिन खसरा नम्बरों का कब्जा परिवर्तन के समय सिविल कोर्ट/मा0 उच्च न्यायालय आदि से उक्त तिथि तक स्थगन है तो उन खसरा नम्बरों में कब्जा परिवर्तन नहीं माना जायेगा।

ग्राम का नाम:- नानू

परगना:- लोनी तहसील/ जिला :- गाजियाबाद

क्र0सं0	खसरा नं0	अर्जित किये जाने वाले गाटे का क्षेत्रफल (हेक्टेर में)	अन्य विवरण
1	92	2.538	
2	93	0.458	
3	94	0.436	
4	95	0.532	
5	96	2.012	
6	97	0.902	
7	98	0.555	
8	99	1.825	
9	101	1.372	

10

106	443	0.155	
107	444	0.318	
108	445	0.165	
109	447	1.671	
110	453	1.461	
111	470	1.076	
112	475	0.782	
113	476	0.973	
114	545	2.643	
115	547	0.807	
116	622	0.907	
117	625	1.869	
118	626	1.251	
119	630	0.352	
120	726	1.595	
121	727	0.812	
122	730	0.445	
123	731	0.865	
124	732	1.262	
125	733	1.608	
126	734	3.149	
127	737	1.218	
128	738	0.572	
129	739	0.915	
130	740	0.177	
131	741	0.173	
132	742	0.166	
133	745	1.674	
134	748	0.921	
135	751	1.330	
136	752	0.205	
137	753	0.758	
138	754	1.171	
139	756	0.345	
140	757	0.191	
141	758	0.206	
142	759	0.255	
143	760	0.249	
144	763	0.412	
145	764	0.194	
146	765	0.122	
147	767	0.708	
148	768	1.352	
149	769	0.052	
150	770	0.049	

151	774	0.684	
152	775	0.237	
153	776	0.239	
154	102/780	0.045	
155	102/781	0.045	
156	191/782	0.003	
	योग:-	83.258	म0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका में अंकित खसरा नं0 472/0.276 है0, 495/0.127 है0 व 252/0.430 है0 कुल क्षेत्रफल 0.833 है0 विचाराधीन होने के कारण कब्जा पत्र में शामिल नहीं किया गया निस्तारण के उपरान्त कब्जे की कार्यवाही पृथक से की जायेगी।

नोट:- उक्त कब्जा पत्र में ग्राम समाज भूमि एवं खसरा खतौनी में अन्तर के अनुसार पाई गई भूमि का क्षेत्रफल शामिल नहीं किया गया है तथा कब्जा पत्र में कोई सम्पत्ति शामिल नहीं है। इसका निस्तारण अर्जन निकाय स्वयं अपने स्तर से करेगा व रिट याचिकाओं में विचाराधीन क्षेत्रफल को भी शामिल नहीं किया गया है। यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो उसका संशोधन प्रथक से किया जायेगा।

कब्जा लेन वाले के हस्ताक्षर

नाम:- श्री नवीन कुमार जैन

पद का नाम:- सहायक अभियन्ता

दिनांक:-

श्री सुधीर सिंह

अवर अभियन्ता

(अरुण कुमार)

अधिसासी अभियन्ता नि0ख0-22

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

मुन्धरा, गाजियाबाद

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर

नाम:- श्री निरंजन सिंह, श्री तीरथ सिंह

पद का नाम:- अमीन

दिनांक:- 27.12.12

प्रति हस्ताक्षरित

अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति)

संयुक्त संगठन

गाजियाबाद

कार्यालय अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) संयुक्त संगठन, गाजियाबाद

शासनादेश सं0 1999/1-13/13/2004 रा-13 दि0 11.11.2004 द्वारा निर्धारित प्रारूप

अधिकार पत्र (कब्जा परिवर्तन)

1. राजस्व ग्राम का नाम : मण्डौला
2. परगना, तहसील व जिला : लोनी / गाजियाबाद / गाजियाबाद
3. अर्जन निकाय का नाम : उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नि0ख0 - 22 वसुन्धरा गाजियाबाद
4. योजना का नाम : दिल्ली-सहारनपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना, गाजियाबाद
5. धारा-28(1) की विज्ञप्ति का दिनांक : 18.09.98
6. धारा-32(1) की विज्ञप्ति का दिनांक : 27.10.07
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि : 27-12-12
8. कब्जा देने वाले का नाम : निरजन सिंह, तीरथ सिंह (अमीन) कार्यालय-अपर जिलाधिकारी (भूमिअध्याप्ति) संयुक्त संगठन, गाजियाबाद

भूमि का विवरण जिसका कब्जा अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को हस्तान्तरित किया जा रहा है, जैसी भी स्थिति है। प्रश्नगत ग्राम की 731.845 है0 विज्ञप्ति भूमि का कब्जा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को दिये जाने हेतु अमीन श्री निरजन सिंह एवं तीरथ सिंह को अधिकृत किया जाता है, कि वह उक्त भूमि का कब्जा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के सहायक अभियन्ता श्री नवीन कुमार जैन को सौंपें, परन्तु प्रतिबंध होगा कि जिन खसरा नम्बरों का कब्जा परिवर्तन के समुच्च सिविल कोर्ट/मा0 उच्च न्यायालय आदि से उक्त तिथि तक स्थगन है तो उन खसरा नम्बरों में कब्जा परिवर्तन नहीं माना जायेगा।

ग्राम का नाम:- मण्डौला, परगना:- लोनी, तहसील व जिला:-गाजियाबाद

कं0 सं0	खसरा नं0	अर्जित किये जाने वाले गाटे का क्षेत्रफल (है0 में)	अन्य विवरण
1	67	1.313	
2	68	1.559	
3	69	1.770	
4	71	0.063	
5	72	0.202	
6	141	1.399	
7	142	1.177	
8	144	0.898	

1324	1916	1.184
1325	1917	3.075
1326	1918	0.674
1327	1919	0.175
1328	1921	0.075
1329	1922	0.809
1330	1923	1.834
1331	1924	1.562
1332	1925	1.181
1333	1926	2.634
1334	1927	0.350
1335	1928	1.815
1336	1930	0.063
1337	1932	1.003
1338	1935	1.709
1339	1936	0.516
1340	1937	1.012
1341	1938	1.572
1342	1941	0.266
1343	1942	0.040
1344	1946	0.158
1345	1947	0.083
1346	1948	0.073
1347	1949	0.058
1348	1950	0.177
1349	2094	0.189
1350	2096	2.230
1351	2098	0.664
1352	2099	0.521
1353	2100	0.813
1354	2101	0.802
1355	2102	0.312
1356	2103	0.512
1357	2104	0.828
1358	2105	0.164
1359	2106	0.569
1360	2107	0.101
1361	2108	0.076
1362	2109	0.164
1363	2110	0.253
1364	2111	1.126
1365	2112	0.089
1366	2113	0.126
1367	2114	0.316
1368	2115	0.304
1369	2117	0.101
1370	2118	0.253

1559	2659	0.272
1560	2660	0.255
1561	2661	0.510
1562	2662	0.972
1563	2664	1.610
1564	2665	0.503
1565	2667	0.080
1566	2668	0.080
1567	2669	0.095
1568	2670	0.750
1569	2671	0.354
1570	2672	0.181
1571	2673	0.183
1572	1548 / 2675	0.099
1573	2628 / 2682	0.016
1574	2628 / 2683	0.017
1575	1523 / 2684	0.545
1576	2547 / 2685	0.016
1577	187 / 2686	0.263
1578	2539 / 2687	0.632
योग:-		731.845

नोट-1, खसरा नं०-918/0.114, 925/0.253, 951/0.089 कुल 0.456 क्षेत्रफल पर अपर आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ के न्यायालय में निगरानी संख्या-49 धारा-333जेड0ए0 जीत सिंह बनाम सरकार विचाराधीन होने के कारण कब्जे में शामिल नहीं किया गया है।

नोट-2, उक्त कब्जा पत्र में ग्राम समाज भूमि एवं खसरा खतौनी में अन्तर के अनुसार पाई गई भूमि का क्षेत्रफल शामिल नहीं किया गया है तथा कब्जा पत्र में कोई सम्पत्ति शामिल नहीं है। इसका निस्तारण अर्जन निकाय स्वयं अपने स्तर से करेगा व रिट याचिकाओं में विचाराधीन क्षेत्रफल को भी शामिल नहीं किया गया है। यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो उसका संशोधन प्रथक से किया जायेगा।

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर

नाम:- श्री नवीन कुमार जैन

पद का नाम:- सहायक अभियन्ता

दिनांक:-

श्री जय राम / श्री दिग्विजय सिंह

श्री जगदीश चन्द्र राजपूत / श्री डी०पी० सिंह

अवर अभियन्ता

(अरुण कुमार)

अधिसासी अभियन्ता नि०ख०-22

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

वसुन्धरा, गाजियाबाद

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर

नाम:- श्री निरंजन सिंह, श्री तीरथ सिंह

पद का नाम:- अमीन

दिनांक:- 27.12.12

प्रति हस्ताक्षरित

अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति)

संयुक्त संगठन, गाजियाबाद।